

न्यायकि नियुक्तियों में देरी चिता का विषय: सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिमि्स के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, <u>कॉलेजियम प्रणाली,</u> न्यायिक नियुक्तियाँ

मेन्स के लिये:

कॉलेजयिम प्रणाली और इसकी आलोचना

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालका में नई प्रतभाओं की नयुक्तियों में हो रही देरी <mark>को लेकर चिता ज</mark>ताई है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में न्यायतंत्र का हिस्सा बनने के लिये चयनित उम्मीदवारों ने **उच्च न्यायालय<mark> कॉलेजियम</mark> की सफारिशों** पर कार्रवाई करने में सरकार द्वारा किये जा रहे विलंब के परिणामस्वरूप अपने आवेदन वापस ले लिये हैं।

• भारत के महानुयायवादी को 9 अक्टूबर, 2023 तक लंबति न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपडेट प्रदान करने का निरदेश दिया गया था।

न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिताएँ:

- नियुक्ति में विलंबता तथा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने में चूक:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **सरकार के पास 10 महीने से अधिक समय से लंबति 70 उच्च न्यायालय कॉलेजयिम सिफारिशों के बैकलॉग** को लेकर चिता जताई है।
 - सिफारिशों को संसाधित करने में इतनी देरी के कारण न्यायपालिका के भीतर प्रतिभाओं की कमी हो गई है, क्योंकिसंभावित उम्मीदवार सरकारी निष्क्रियता के कारण अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं।
 - विधि के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कई लोग इन विलंबों के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के कारण भी अपने आवेदन वापस ले रहे हैं।
- नामों का विवादास्पद पृथक्करण:
 - ॰ कॉलेजयिम-अनुशंसति स्चियों से **नामों को <mark>अलग करने</mark> की सरकार की कारय-परणाली** गंभीर चता का विषय है।
 - ॰ कॉलेजयिम दवारा सुपष्ट मनाही के <mark>बावजूद सरका</mark>र ने नामों को अलग करना जारी रखा, जसिसे कॉलेजयिम के नरिदेशों का वरिध हुआ।
 - इस विवादासुपद कार्<mark>य-परणाली</mark> के परिणामस्वरूप उमुमीदवारों को अपनी उमुमीदवारी वापस लेनी पड़ी है।
- नियुक्तियों और रिकृत पदों का बैकलॉग:
 - ॰ उचच नयायालय <mark>कॉलेजयिम की</mark> सफिारशिं के वयापक बैकलॉग ने **देश भर में कई नयायकि पदों को रकित छोड़ दिया** है।
 - ॰ प्रक्रिया <mark>ज्ञापन कॉले</mark>जियम द्वारा दोहराए गए नामों की शीघ्र नियुक्ति का आदेश देता है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे और विलंब हो रहा है।

Fewer judges, rising cases

Year after year, as vacancies of judges go unfilled, the pendency of cases continues to mount

High Courts (25)

Sanctioned strength of judges

1,114

Working strength of judges:

774

Vacancies:

340

Supreme Court

Sanctioned strength:

34

Working strength:

32

Vacancies:

2



Pendency of cases

In High Courts

60,72,729

Cases pending in High Courts for more than a year

45,22,626 (74.47%)

Cases pending in the Supreme Court

80,591

Courtesy: Department of Justice & National Judicial Data Grid

//

वशिष्टि लंबित मामलेः

- ॰ मणपुिर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नयुिक्त लिंबति है, जसि<mark>से अ</mark>नश<mark>्चितता</mark> बनी हुई है । 🥒
- ॰ इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालयं कॉलेजयिम द्वारा अनुशंसति 26 तबा<mark>दलों पर सरकार</mark> की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।





- System of appointment and transfer of judges
- **э** Evolved through judgments of the Supreme Court, and not by an Act of Parliament

Constitutional Provisions Related to Appointment of Judges

- ullet Articles $f 124\,(2)$ and f 217- Appointment of judges to the Supreme Court and High Courts
 - President makes appointments after consulting with "such judges of the Supreme Court and of the High Courts" as s/he may deem necessary.
- But the Constitution does not lay down any process for making these appointments.

Evolution of the System

First Judges Case (1981)

- SC held that in the appointment of a judge of the SC or the HC, the word "consultation" in Article 124 (2) and in Article 217 of the Constitution
- Gave the executive primacy over the judiciary in judicial appointments

Second Judges Case (1993)

- SC overruled the First Judges Case
- Gave birth to the Collegium System
 (Primacy to the Judiciary)
- Collegium included the Chief Justice of India and the 2 most senior judges of the SC

Third Judges Case (1998)

 SC expanded the Collegium to include the CJI and the 4 most-senior judges of the court after the CJI

Current Structure



Supreme Court Collegium: CJI and the 4 senior-most judges of the SC



High Court Collegium: CJI and 2 senior most judges of the SC

Criticism

- Opaqueness
- Scope for Nepotism
- Exclusion of Executive
- No Predetermined Procedure of Appointment

National Judicial Appointments Commission (NJAC)

- It was an attempt to replace the Collegium System. It prescribed the procedure to be followed by the Commission to appoint judges
- NJAC was established by the 99th Constitutional Amendment Act, 2014
- But the NJAC Act was termed unconstitutional and was struck down, citing it as having affected the independence of the judiciary





भारत में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI):
 - भारत के राष्ट्रपत CJI और अन्य SC न्यायाधीशों की नियुक्त किरते हैं।
 - जहाँ तक CJI का सवाल है, नविरतमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं।
 - वर्ष 1970 के दशक के अधिक्रमण विवाद के बाद से यह सख्ती से वरिष्ठता के आधार पर किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
 - SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिनहें वह आवशयक समझते हैं।
 - CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरष्ठितम न्यायाधीशों का एक पैनल, जिस कॉलेजियम के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति को SC जज के रूप में नियुकत होने वाले उम्मीदवारों के नामों की सिफारशि करते हैं।
- उचच नयायालयों (HC) के मुखय नयायाधीश और HC के नयायाधीश:
 - HC के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारशिCJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य नयायाधीश से भी परामरश किया जाता है।
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये किसी नाम की सिफारिश करने से पहले अपने दो वरिषठतम नयायाधीशों से परामरश करना भी आवशयक है।

आगे की राह

- सरकार को नियुक्तियों के बैकलॉग को खत्म करने और रिक्त न्यायिक पदों को तुरंत भरने के लिये लंबितिउच्च न्यायालय कॉलेजियम सिफारिशों के परसंसकरण में तेज़ी लानी चाहिये।
- सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों से नामों को अलग करने की प्रथा बंद करनी चाहिये और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम के निर्देशों का पालन करना चाहिये।
- न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों की प्रगति पर नज़र रखने एवं रिपोर्ट करने हेतु एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना । अनुचित विलंब या गैर-अनुपालन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दोषी ठहराना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वित्त वर्ष के प्रश्न

[?][?][?][?]:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निरणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-concerned-about-delayed-judicial-appointments